

## प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला : A.C.B O.P. Siu Jaipur थाना: C.P.S,A.C.B. Jaipur .....वर्ष 2022  
प्र०इ०रि० सं. ....34 /2022.....दिनांक.....6/2/22
2. (I) अधिनियम धारायें 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018  
एवं 120 बी भादसं
- (II) \*अधिनियम ..... धारायें .....
- (III) \*अधिनियम ..... धारायें .....
- (IV) \*अन्य अधिनियम एवं धारायें .....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ..... 117 समय . 2-40PM  
(ब) अपराध घटने का दिनांक  
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक
4. सूचना की किस्म :- लिखित / मौखिक लिखित एवं जी-मिडिया टेलिविजन चेनल पर प्रसारित विडियो विलप
5. घटनास्थल :- जयपुर
- (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:-  
(ब) \*पता : ..... बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....  
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो  
पुलिस थाना .....जिला .....
6. परिवादी / सूचनाकर्ता :-  
(अ) नाम श्री विजय मिश्रा निवासी गयाकुण्ड मोहल्ला, कामा, जिला भरतपुर, राजस्थान  
(ब) पिता/पति का नाम – श्री श्रीचंद मिश्रा  
(स) जन्म तिथि/वर्ष .....  
(द) राष्ट्रीयता .भारतीय.....  
(य) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि .  
जारी होने की जगह .....  
(र) व्यवसाय – सामाजिक कार्यकर्ता  
(ल) पता –
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :-  
1- श्री पूरन, ई-मित्र संचालक, ज्योतिबा फूले कॉलेज, रामनगर, जयपुर के सामने,  
2- श्री मदन चौधरी, सिद्धि विनायक कॉम्प्लेक्स स्वेज फार्म जयपुर व संचालक जयलाल मुंशी का रास्ता, जयपुर एवं अन्य।
8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :-..कोई नहीं.....
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)...  
\* चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कूल मूल्य .....

दिनांक 29.01.2022 को जी-मीडिया के सवांददाता श्री आशीष चौहान द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, मुख्यालय, जयपुर के व्हाट्सअप नम्बर पर भेजा गया जिसमें जी-राजस्थान मीडिया टेलीविजन चेनल पर प्रसारित ऑपरेशन पेंशन प्रोग्राम विडियो विलप को डाउनलोड कर सुना जाकर अवलोकन एवं विश्लेषण किया गया एवं दिनांक 31.01.2022 को एक प्रार्थना पत्र जी मीडिया के सवांददाता श्री आशीष चौहान द्वारा मेरे व्हाट्सअप नम्बर पर भेजा गया जो श्री विजय मिश्रा पुत्र श्री श्रीचंद मिश्रा निवासी गयाकुण्ड मोहल्ला, कामां, जिला भरतपुर, के द्वारा एक टाईपशुदा प्रार्थना-पत्र था जो श्रीमान महानिदेशक महोदय, एसीबी जयपुर को सम्बोधित करते हुए जिसमें निम्न उल्लेखित था।

विषय “सामाजिक सुरक्षा पेंशन चालू करवाने के मामले में ली जा रही रिश्वत के प्रकरण में कार्रवाई किये जाने बाबत्। महोदय, निवेदन है कि दिनांक 29.01.2022 को जी राजस्थान टीवी चेनल पर शाम 4:00 बजे ऑपरेशन पेंशन प्रोग्राम को देखकर प्रार्थी हतप्रद रह गया कि एक और केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा पीड़ित वर्ग को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु विभिन्न विधिक प्रावधान एवं सामाजिक सुरक्षा की योजना आरम्भ कर उन्हें मानसिक एवं आर्थिक संबल दिया जा रहा है और दूसरी ओर इस स्टिंग ऑपरेशन के अनुरूप ज्योतिबा फूले कॉलेज रामनगर जयपुर के सामने ईमित्र संचालक जो कि अपना नाम पूरन बता रहा था, जिसने दो हजार रुपये रिश्वत ली। दूसरा सिद्धि विनायक कॉम्प्लेक्स स्वेज फार्म जयपुर में ईमित्र संचालक है जो अपना नाम मदन चौधरी बता रहा है इसने अठारह सौ रुपये रिश्वत के लिए। यह सामाजिक सुरक्षा पेंशन सुनीता देवी एवं रुप चन्द पेसवानी शुरू कराने के पैसे लिए जिनकी पेंशन तत्काल शुरू हो गई। इसके अलावा बगरू वालों का रास्ता में ईमित्र संचालक तथा जयलाल मुंशी का रास्ता में ईमित्र संचालक ने क्रमशः अठारह सौ व पन्द्रह सौ रुपये रिश्वत की मांग की। इस प्रकार स्पष्ट है कि सम्पूर्ण राज्य के अन्तर्गत एक और राज्य सरकार तत्काल पेंशन आरम्भ करने के लिए प्रतिबद्ध है दूसरी ओर ऐसे ईमित्र संचालक जिन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कर्मचारियों से सांठ-गांठ कर सम्पूर्ण तंत्र को कलंकित किया है, जिनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई कर सम्पूर्ण षडयंत्र कारियों एवं दोषी लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लायी जावे” आदि।

मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर द्वारा प्रार्थना पत्र का अवलोकन एवम् उसके साथ प्राप्त वीडियो विलप को विभागीय लेपटॉप में चलाकर देखा एवम् सुना गया, जिसमें ई-मित्र संचालकों द्वारा नगर निगम जयपुर एवम् कलेक्ट्रेट जयपुर के कर्मचारियों को रिश्वत में रुपये दिये जाने के नाम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन चालू करवाने के मामले में रिश्वत ली जा रही है आदि—आदि ई-मित्र संचालकों एवं जी-राजस्थान मीडिया टेलीविजन एंकर, रिपोर्टर टीम की वार्तालाप रिकॉर्ड है, जो निम्नलिखित है।

वार्तालाप जी-राजस्थान मीडिया न्यूज रिपोर्टर व ई-मित्र संचालक, जय लाल मुंशी का रास्ता हैरिटेज, जयपुर.....रिपोर्टर—पेंशन का करवाना है, ई-मित्र संचालक—सत्यापन करवाना है या चालू करवानी है। रिपोर्टर—नहीं नहीं चालू ही करवानी है, ई-मित्र कर्मचारी—1500 रुपये लगेरें यहां से चालू हो जायेगी। रिपोर्टर—कब तक आ जायेगी। ई-मित्र कर्मचारी—फरवरी में आ जायेगी। रिपोर्टर—थोड़ा गुंजाई करो ना। ई-मित्र संचालक—आगे जाते हैं पैसे। रिपोर्टर—कलेक्ट्रेट भी जाते हैं क्या ये। ई-मित्र संचालक—कलेक्ट्रेट व नगर निगम दोनों में। रिपोर्टर—अच्छा, तो दोनों जगह पैसे देने पड़ते हैं। ई-मित्र संचालक—बिना पैसे के काम कोई नहीं करता, ऐसी है बात। रिपोर्टर—(वहां उपस्थित अन्य कस्टमर से बात करते हुए) आपकी ही चालू करवाई थी क्या, आपके कितते लिये थे। कस्टमर—2000 रुपये में। वार्तालाप जी-राजस्थान मीडिया न्यूज रिपोर्टर व ई-मित्र संचालक, बगरू वालों का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर.....ई-मित्र संचालक—दलाल वगैराह भी खाते हैं पैसे, और आगे भी खिलाने पड़ते हैं।

रिपोर्टर— पहले देने पड़ेगें क्या पैसे, ई-मित्र संचालक—हाँ , ई-मित्र संचालक—1800 रुपये लगेंगे। ई-मित्र संचालक फिर फोन पर दलाल से बात करता है। रिपोर्टर—चालू कब तक होगी भैया यह स्कीम, ई-मित्र संचालक—अगले महिने में। एंकर—तो आखिर सिस्टम की आपने पूरी प्रोसेज आखिर किस तरीके से होती है, जिसमें किसी तरीके का कोई दाग ना हो तो क्या प्रोसेज रहती है, लेकिन असलियत में क्या हो रहा है, ये भी हमने आपको यहाँ पर दिखाया कि वास्तव में ऐसा हो नहीं रहा है, यानी की इस सिस्टम को भी टेम्पर करने के तरीके ढूँढ़े जा चुके हैं और चाहे निगम दफ्तर हो या फिर कलेक्ट्री हो हर जगह भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं। दलाल बैठें हुए हैं। जिन तक पैसे नहीं पहुंचेंगे इस सिस्टम को किलयर नहीं किया जा सकता है। वो शख्स जिसे पैसों की जरूरत है, वो धक्के खाता रहेगा। कुछ स्थितियाँ हम आपके सामने साफ करना चाहते हैं आखिर क्या कुछ जो है इस पूरे सिस्टम को टेम्पर करने के लिए किया जा रहा है। आपने देखा यहाँ पर इन्वेस्टिगेटी रिपोर्टर जो वहाँ पर पहुंचते हैं तमाम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, उनके पास जाते हैं पूछते हैं कि आखिर पेंशन लगाने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा। पहले बताया जाता है कि आपको यहाँ डोक्यूमेन्ट जमा कर दीजिए और उसके बाद जो है पन्द्रह दिन लगेंगे और पन्द्रह दिन के बाद जो है क्या कुछ होगा फिर कहते हैं कि 1500 रु दे दीजिए। अब यह पन्द्रह सौ रुपये उस कम्प्यूटर के अन्दर तो जायेंगे नहीं देखिए उस वृद्धावस्था पेंशन को लेकर किस तरीके की तस्वीर है। योजना के लिए कौन—कौन पात्र होते हैं। सबसे पहले तो आप यह समझ लीजिए कि कौन—कौन एलिजिबल है। वृद्धावस्था, वृद्धजन किसान पेंशन योजना के तहत 55 वर्ष के वरिष्ठ महिलाओं को 750 रुपये की प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। 750 रु के लिए इतनी जदोहद करनी पड़ती है। इतने जो धक्के इन्हें खाने पड़ते हैं, जो 2—2 हजार रुपये वहाँ मांगे जा रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए 750 रु प्रतिमाह के लिए है यह इतनी जदोहद यानी उस एक—एक रुपये के लिए ये व्यक्ति को तरसा देते हैं। उस सिस्टम का आप है जो हिस्सा बन जाईये। 1500 रु आप उसके हाथ में दे दीजिए। पन्द्रह दिन के बाद आपकी पेंशन शुरू हो जायेगी। योजना के लिए जो पात्र व्यक्ति हैं, उनमें एकल नारी सम्मान पेंशन योजना महिलाओं की उम्र के हिसाब से 750 रु से 1500 रु तक आर्थिक सहायता देने का इसमें प्रावधान किया गया है। जो लाभार्थी है वो भी इनमें शामिल है। 750 रु से 1500 रु तक की पेंशन जो है महिलाओं को उनकी उम्र के हिसाब से दी जाती है। योजना के तहत अधिकतम 75 या उससे अधिक उम्र वाली महिलाओं को प्रतिमाह ये पेंशन जो है दी जाती है। तो आखिर जो विधवा पेंशन या फिर वृद्धावस्था पेंशन है वो किन—किन महिलाओं को दी जाती है उन्हें कितनी—कितनी पेंशन मिलती है, कौन—कौन एलिजिबल है। ये काईट एरिया है। लेकिन इस काईट एरिया को पूरी तरीके से टेम्पर किया जा रहा है। पूरी तरीके से हमने आपको दिखाया कि दलाल कैस पूरी तरीके से सक्रिय है। सरकार दावा कर रही है कि सिस्टम इस तरीके से पारदर्शी बनाया जा चुका है। सरकार की तरफ से कोशिश रही है कि हर व्यक्ति जो है इसका हकदार है। उसे किसी भी बिना परेशानी के पेंशन उसका हक उसके हाथ में आराम से जल्द से जल्द पहले 45 दिन लगते थे और अब 15 दिन में हाथों हाथ पूरा सिस्टम दुरुस्त कर उसके हाथ में पैसा जो है पहुंच जाये। लेकिन ग्राउण्ड रियलिटी हमने आपको दिखाई। ग्राउण्ड रियलिटी क्या है कि आप जायेंगे उनके पास अपने डोक्यूमेन्ट्स को अप्लाई करेंगे और अगर आप सीधे तरीके से साफ सुधरे तरीके से जाना चाहते हैं तो भूल जाईये कि आपकी पेंशन जो है लगने वाली है। अगर आप इन दलालों के हाथ में घूस रख देंगे। उनके हाथ में पैसा रख देंगे तो आपको जरूर जल्द से जल्द जो भी सिस्टम के अन्दर वक्त है उसमें आपको जो पेंशन है वो मिल जायेगी। इस बार हम बात करेंगे और चीजें आपको बतायेंगे। क्योंकि ऑपरेशन जो है किस तरीके से शुरू यहा पर हुआ है उसमे हमारा इन्वेस्टीगेटर आशीष जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ग्राउण्ड रियलिटी में क्या कुछ चीजें देखी हैं कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ हैं, उनसे भी आपका परिचय हम करावायेंगे, स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले आशीष के पास

चलेंगे, आशीष दावे क्या हैं और रियलिटी क्या है, जो आप निकाल के लाये हैं, जब आप वहां पर पहुंचे आपने बात की किस तरीके से लोगों की परेशानियां आपको नजर आयी क्या जो इस वक्त इस पूरे सिस्टम के बीच में लोग हैं, जो जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है वो आखिर किस तरीके से उन दावों को पलीता लगा रहे हैं। आशीष चौहान रिपोर्ट जी मीडिया— देखिये जिस तरह से सरकार ने ओर सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने ये दावा किया है कि एक मिनट में पेंशन मिलेगी और कुछ मिनटों में है जो उनके खातों में पैसे ट्रान्सफर भी हो जायेंगे। लेकिन इसकी पड़ताल करना बहुत ज्यादा जरूरी था क्या कि यह वार्कई में सिस्टम डवलप हुआ है, क्या वार्कई में उन लोगों तक पेंशन पहुँच रही है, जो लोग इस योजना के पात्र हैं जिन पात्र लोगों के लिये सरकार ने यह योजना बनाई है लेकिन हकीकत कुछ ओर ही थी हमने पड़ताल की ओर ऐसे ऐसे लोग हमें मिले जिन्होंने पॉच से सात बार पेंशन के लिये आवेदन किया था, लेकिन आज तक पेंशन योजना स्वीकृत नहीं हुई है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सिस्टम जो डवलप किया गया है ऑनलाईन सिस्टम, उसको भी किस तरीके से सिस्टम को हैक किया जाता है किस तरीके से उस सिस्टम को पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है ओर लगातार जिस तरीके से हमने अभी बताया कि लगातार कोशिश की जाती है कि कहीं भी जाते हैं तो बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है सरकारी डिपार्टमेन्ट में चाहे सामाजिक अधिकारिता विभाग हो या दूसरा विभाग हो उसमें किसी भी तरह का कोई काम नहीं होता है ओर जिस तरीके की सरकार की यह योजना है तो उसमें पेंशनधारियों के लिये सबसे बड़ी मुसीबत यह आती है कि आवेदन करने के बाद में उनका फॉर्म एक बार अप्रूव भी हो जाता है लेकिन उसके बाद में कहीं ना कहीं वो रिजेक्ट हो जाता है बिना किसी कारण के रिजेक्ट हो जाना यानी कहीं ना कही मिलीभगत का खेल जो है, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग में भी चल रहा है, क्योंकि अब नगर निगम या कलेक्ट्रेट से इस पोर्टल का किसी भी तरह से कोई सम्पर्क नहीं है सीधे ही तौर पर आप जन सम्पर्क जिस तरीके से जनआधार कार्ड के द्वारा ही आप ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं ईमित्र पर और उसके बाद में सीधा ही यह वेरीफाई होता है जन आधार कार्ड से यानी कि जनआधार कार्ड में आपकी पूरी डिटेल होगी इसके बाद में ही यह पूरी तरह से वेरीफाई होता है जो सिस्टम डवलप है उस सिस्टम को भी कहीं ना कही पलीता लगाते हुए जो सरकारी सिस्टम है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं यानी कि सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है ईमित्र संचालक और कहीं ना कही सरकारी सिस्टम है सरकारी कर्मचारी है उनका खेल चल रहा है। एंकर—अब हमारी इन्वेस्टीगेशन आगे बढ़ती है जिसमें हमारे रिपोर्टर आशीष चौहान जयपुर के ऐसे पात्र आवेदकों को लेकर पहुँचते हैं जिन्होंने पेंशन के लिये पहले आवेदन किया था, लेकिन उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, हम पात्र आवेदकों के साथ ई-मित्र पर खुफिया कैमरों के साथ पहुँचते हैं जिसमें हैरान करने का सच सामने आता है सच जानने के लिये न्यु सांगानेर रोड निवासी सुनिता देवी को हम आवेदन के लिये ई मित्र पर लेकर जाते हैं, सुनिता देवी के पति का 02 साल पहले स्वर्गवास हो गया इसलिये वह अब एकल नारी विधवा पेंशन योजना की हकदार है इसलिये अब उन्हे लेकर हमारी टीम ई-मित्र संचालक के पास पहुँची। सिद्धि विनायक कॉम्प्लेक्स स्वेज फार्म ई-मित्र संचालक मदन चौधरी—हमारा काम है खाली एप्लाय करना, और वेरीफिकेशन करवाते हो ना तो वेरीफिकेशन का काम है इनका अगर देखी जाये तो, रिपोर्टर— नहीं, वेरीफिकेशन का काम तो इनका है पर, ई-मित्र संचालक मदन चौधरी—इनका चालू हो जाएगा, लोग बाग तो यार पांच—पांच हजार रुपये खर्च कर देते हैं इसके लिए वो अंकल जी आये थे मेरे पास पूरी बात सुनो तीन बार रिजेक्ट मार दी उसकी। रिपोर्टर—कमी होगी ना। ई-मित्र संचालक मदन चौधरी—दोनों मिया बीबी की एक महिने में मैंने चालू करवाई है। रिपोर्टर—करवा दी। ई-मित्र संचालक मदन चौधरी—बिल्कुल होगी। रिपोर्टर—कितते रुपये लगे उसमें। ई-मित्र संचालक मदन चौधरी—दो—दो हजार रुपये। रिपोर्टर— आप शुरू करवा दो ना इनकी। ई-मित्र संचालक मदन चौधरी—बिल्कुल भी नहीं अटकेगी गारंटी के साथ।

~~रिपोर्टर—ये फर्जीवाडा करते हैं ये लोग पागल पंथी।~~ ई—मित्र संचालक मदन चौधरी—गारंटी के साथ चालू करवा दूंगा। ~~रिपोर्टर—अटकाना नहीं चाहिए एक साल हो गया इनको।~~ ई—मित्र संचालक मदन चौधरी—चालू मैं करवा दूंगा गारंटी के साथ। दूकान लेके बैठा हूं इतना तो विश्वास रखों, चलता फिरता तो हूं नहीं, आज से नहीं इस मॉल के अन्दर सबसे पुराना मैं ही हूं। ~~ई—मित्र संचालक मदन चौधरी—आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो, दो के बो मेरे को देके गया था अड़तीस सौ रुपये।~~ ज्योतिबा फुले कॉलेज के सामने लाभार्थी रूपचन्द पेशवानी के साथ ईमित्र पहुंचकर रिपोर्टर—पेंशन के कितते लगेंगे। ई—मित्र संचालक पूरण—2380 रु। ~~रिपोर्टर—किस हिसाब से ले रहे हो ये बताओं ना।~~ ई—मित्र संचालक पूरण 150 रु आधार कार्ड, 230 रु पेन कार्ड, 2000 रु पेंशन के रिपोर्टर—ज्यादा नहीं है क्या यार। ~~ई—मित्र संचालक पूरण—ज्यादा नहीं है ये।~~ इस तरह की वार्ताएं जी—मीडिया के एंकर एवं संवाददाता द्वारा की गई हैं।

इस तरह से परिवाद के अवलोकन एवं जी—मीडिया द्वारा प्रेषित विडियो को सुनने से जो तथ्य आये हैं, उसके अनुसार ई—मित्र संचालकों द्वारा सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा आवश्यकता मंद लोगों को दी जाने वाली पेंशन चालू करवाने के लिए 1500 से लेकर 2000 रु व इससे ऊपर तक रिश्वत राशि की मांग ई—मित्र संचालकों द्वारा स्वयं के लिए एवं नगर निगम एवं कलेक्ट्रेट कार्यालय के अधिकारियों के लिए रिश्वत मांगा जाना एवं प्राप्त करना प्रथम दृष्टया पाया गया है, जो भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है। जिसका मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, ब्यूरों मुख्यालय, जयपुर द्वारा भी विभाग के अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करने से पेंशन प्राप्त करने के लिए किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाना बताया एवं उपरोक्त ई—मित्र केंद्र भी डीओआईटी द्वारा संचालित किया जाना बताया। जी—राजस्थान मिडिया टेलिविजन चेनल पर प्रसारित ऑपरेशन पेंशन प्रोग्राम विडियो विलप ई—मित्र संचालकों द्वारा नगर निगम जयपुर एवम् कलेक्ट्रेट जयपुर के कर्मचारियों को रिश्वत में रुपये दिये जाने के नाम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन चालू करवाने के मामले में रिश्वत लेने से सम्बन्धित वार्तालाप रिकॉर्ड है, जो अनुचित लाभ उठाने का मामला बनता है एवं भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है। इसलिए जी—राजस्थान मिडिया टेलिविजन चेनल पर प्रसारित ऑपरेशन पेंशन प्रोग्राम विडियो विलप को विभागीय कम्प्यूटर से जोड़कर डाउनलोड विडियो को गवाहों की उपस्थिति में देखकर एवं सुन—सुन कर ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट मुर्तिब की गई। सीडी को राईट बर्न कर दो DVD तैयार कर दोनों डीवीडी को अलग—अलग मार्का ए व ए—1 दिया जाकर डीवीडीयों पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर मार्का ए को एक प्लास्टिक के कवर में रखा जाकर एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर सील मोहर कर गोपनीय जांच में बतौर वजह सबूत मौजूदा गवाहान के समक्ष जप्त कर कब्जा एसीबी लिया गया। सफेद कपड़े की थैली पर मार्का ए अकिंत कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया व मार्का ए—1 पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर अनुसंधान के प्रयोजनार्थ खुली रखी जाकर शामिल पत्रावली की गई। आईन्दा उक्त DVD में रिकॉर्ड डाटा का विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर से परीक्षण करवाया जाकर सोशल मिडिया पर प्रसारित सम्बन्धित विडियो से मिलान करवाया जायेगा।

उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों, उपलब्ध साक्ष्यों एवं इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों एवं आरोपीगण एवं मीडिया रिपोर्टर टीम के मध्य हुई वार्ता ट्रांसक्रिप्ट से पाया गया है कि जी—राजस्थान मिडिया टेलीविजन चेनल पर प्रसारित ऑपरेशन पेंशन प्रोग्राम विडियो विलप जिसमें, ई—मित्र संचालकों द्वारा नगर निगम जयपुर एवम् कलेक्ट्रेट जयपुर के कर्मचारियों को रिश्वत में रुपये दिये जाने के नाम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन चालू करवाने के मामले में रिश्वत ली जा रही है, से सम्बन्धित वार्तालाप रिकॉर्ड है।


इस तरह से परिवाद के अवलोकन, जब्तशुदा आर्टिकल्स की इलेक्ट्रोनिक साक्ष्यों एवं गोपनीय सत्यापन के आधार पर एवं ई—मित्र संचालकों एवं जी—राजस्थान मीडिया टेलीविजन रिपोर्टर टीम के मध्य हुई वार्तालाप से जो तथ्य आये हैं, उससे सामाजिक न्याय अधिकारिता

विभाग द्वारा आवश्यकता मंद लोगो को दी जाने वाली पेंशन चालू करवाने के लिए 1500 से लेकर 2000 रु से ऊपर तक रिश्वत राशि की मांग ई-मित्र संचालकों द्वारा स्वयं के लिए एवं नगर निगम एवं कलेक्ट्रेट कार्यालय के अधिकारियों के लिए रिश्वत मांगा जाना एवं प्राप्त करना प्रथम दृष्ट्या पाया गया है, जो भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है। उसके अनुसार ई-मित्र संचालकों द्वारा लोकसेवकों की मिलीभगत से षड्यन्त्र रचित कर पेंशन लाभार्थीयों से असम्यक लाभ प्राप्त करना एवं प्राप्त करने का प्रयास करना सामने आया है, जो भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है। अतः आरोपी 1. श्री पूरन, ई-मित्र संचालक, ज्योतिबा फूले कॉलेज, रामनगर जयपुर के सामने, 2. श्री मदन चौधरी, सिद्धि विनायक कॉम्प्लेक्स स्वेज फार्म जयपुर व संचालक जयलाल मुंशी का रास्ता, जयपुर एवं अन्य का अपराध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 पी.सी. (संशोधित) अधिनियम 2018 एवं 120 बी भांडंस का अपराध प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया जाने से उपरोक्त के विरुद्ध विस्तृत अनुसंधान हेतु उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रधान आरक्षी केन्द्र एसीबी मुख्यालय जयपुर को प्रेषित है।

  
(ब्रजरंग सिंह)  
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, विअनुई, जयपुर

## कार्यवाही पुलिस


प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री बजरंग सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1.श्री पूरन, ई-मित्र संचालक, ज्योतिबा फूले कॉलेज, रामनगर, जयपुर के सामने एवं 2.श्री मदन चौधरी, सिद्धि विनायक कॉम्प्लेक्स स्वेज फार्म जयपुर व ई-मित्र संचालक जयलाल मुंशी का रास्ता, जयपुर एवं अन्य के विरुद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 34/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

  
7.2.22  
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 327-30 दिनांक 7.2.2022

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर कम संख्या-1, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.आई.यू., जयपुर।

  
7.2.22  
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।